

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचौंची(धनबाद)

अभिलेख सं. १९४(११) / 2016-17

वाद का प्रकार :— बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

पदाधिकारी आदेश

(७)।।०।।६ झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा० दिनांक 12.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन- सह - विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या- ३ - खा०म०निति - 119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं राह-पठित राजस्व विभागगीय परिपत्र संख्या - 914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के दृम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र०अं०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निर्मांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा लैट्रोपुर थाना नं. १९ खाता नं. ९१
प्लॉट नं. ५९९, ६३९, ५९९ अन्प रकवा ०.३१ एकड़ की
भूमि जो गैरमजरुआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं. के पृष्ठ संख्या १२ पर जमाबंदी रैयत छाकुर टे भूमि
के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पूछा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।

अभिलेख दिनांक ५।।१।।६ को उपस्थापित करे।

अंचल अधिकारी,
तोपचौंची

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। नोटिस का तामिला प्राप्त। नोटिस के आलोक में किसी जमाबंदी रैयत या उनके वंशज द्वारा आपत्ति और ना ही राजस्व कागजात समर्पित करने हेतु समय का मँग किया गया है। संवंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि मौजा குடியூர் मौजा नं० 19 खाता नं० 91
उल्लेखित है कि मौजा குடियூர் मौजा नं० 19 खाता नं० 91
प्लॉट नं० 498, 499, 637, 906 रकवा 0.37 H
से संबंधित है, जो खतियान के अनुसार गैरमजरुआ खाते की भूमि है। जिसका पंजी ॥
के जमाबंदी भोलुम नं० 1 के पृष्ठ सं० 112 में रैयत ஸुमित्रेश्वर பொ
ஸुमित्रेश्वर सा० - 112 के नाम से
कायम है। उपरोक्त जमाबंदी के प्रौद्धिकार कॉलम में, बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर / सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि की विवरणी की सृजित जमाबंदी अवैध / संदिग्ध प्रतित होता है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे रद्द करने की अनुशंसा किया जाता है। साथ ही, अभिलेख की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार, उप समाहर्ता, धनबाद का भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

26/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचॉची।

26/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचॉची।

188(11)16-12

(3)

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी ऐयत का नाम :- ६८५२ हेमरम मिला युडा इल्लम
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं.	खाता सं.	प्लॉट सं.	रक्खा
०२३८८	१९	९१	४९८, ६३८ ४९९, ६४३ ६३७	०३७

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या पृष्ठ सं.- १२ पर कायम है
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - ६९-७०
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेवार का नाम :- ३११२५५५ सरकार
6. किस सक्षम प्राधिकार/पक्षाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- ३११
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी ऐयत का नाम :- ३११
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिवार्य सादा हुक्मनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबरती) - ६३८११२१८८५५५ अग्निलोक व्यवस्था ५३३५८९
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जारीदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) :- १५०३१३८०९ २२-१२-७०६ आ-च-५०
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	घसूली वर्ष
1	५९१६२०	११-१८६	८५-८६
2	७२०८ ७०२०७५	२-११-९३	९०-९१-९२ ९३-९४

N